



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
शहादरा, दिल्ली 110032

सं.सी-20017/5/2000/प्रशा.(भर्ती)/एम.ए.सी.पी./ 77

दिनांक: 05.05.2019


आदेश

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं.35034/3/2008-स्था.(डी) और दिनांक 28.09.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2015-स्था.(डी) के अनुसरण में, दिनांक 26.04.2019 को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई थी। संलग्नक-1 के अनुसार कर्मचारियों को "सुनिश्चित कैरियर प्रगतन योजना" के तहत पे-मैट्रिक्स में वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है। कर्मचारी अपने नाम के सामने उल्लिखित तारीख से तत्काल प्रभाव से पे-मैट्रिक्स के अगले उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा। अनुलग्नक-1 में दर्शित कर्मचारियों को दिया गया वित्तीय उन्नयन निम्न शर्तों के अधीन है,

1. वित्तीय उन्नयन से लाभार्थियों के पदनाम में कोई बदलाव नहीं होगा, अर्थात् वित्तीय लाभ उनके पुराने पदनाम के प्रतिधारण के साथ प्रदान किया गया है और उक्त वित्तीय उन्नयन, उच्च दर्जे से संबंधित कोई भी विशेषाधिकार प्रदान नहीं करेगा।
2. 'सुनिश्चित कैरियर प्रगतन योजना' के तहत वित्तीय उन्नयन पूरी तरह से पदाधिकारी (कर्मचारियों) के लिए व्यक्तिगत होगा और संबंधित कर्मचारियों के वास्तविक प्रकार्यात्मक पदोन्नति के समतुल्य नहीं होगा। इसके अलावा, उनकी अन्तर-वरिष्ठता की स्थिति के संबंध में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं होगी, और इस प्रकार, वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं होगा कि कनिष्ठ कर्मचारी को 'सुनिश्चित कैरियर प्रगतन योजना' के तहत उच्च वेतनमान प्राप्त हुआ है। 'सुनिश्चित कैरियर प्रगतन योजना', "वरिष्ठ-कनिष्ठ" की अवधारणा से परे है।
3. उन्हें संशोधित पे मैट्रिक्स की संस्तुति के अनुक्रम में पे मैट्रिक्स के अगले उच्च स्तर में तत्काल प्रभाव से रखा जाता है। इसलिए, कुछ मामलों में, 'सुनिश्चित कैरियर प्रगतन योजना' के तहत वित्तीय उन्नयन के समय (वेतन मैट्रिक्स में) स्तर, जहां नियमित पदोन्नति दो अनुक्रमिक ग्रेड के बीच नहीं होती है जो नियमित पदोन्नति के समय से अलग होती है। ऐसे मामलों में, संबंधित कैडर/संगठन के अनुक्रम में वेतन, अगली पदोन्नति पद से जुड़े पे मैट्रिक्स में केवल नियमित पदोन्नति के समय दिया जाएगा।
4. नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन निर्धारण के लाभ, योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय भी अनुमत होंगे। हालांकि, नियमित पदोन्नति के समय यदि ऐसा होता है कि पदोन्नति वही उच्च वेतन स्तर प्रदान कर रही है जो 'सुनिश्चित कैरियर प्रगतन योजना' के तहत प्रदान किया जा चुका है तो आपका वेतन का निर्धारण नहीं होगा। यद्यपि वास्तविक पदोन्नति के समय यदि ऐसा होता है कि पदोन्नति, 'सुनिश्चित कैरियर प्रगतन योजना' के तहत प्रदान किए गए पे स्तर से उच्च पे स्तर प्रदान कर रही है तो कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा और केवल वेतन स्तर का अंतर उपलब्ध कराया जाएगा।

जारी

5. 'सुनिश्चित कैरियर प्रगतन योजना' के तहत उनके वित्तीय उन्नयन पर, जो यथावत है और विशेष व्यवस्था के रूप में, जिसमें उच्च कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की धारणा को शामिल नहीं किया गया है, उनका वेतन, सीसीएस (आर पी) नियम, 2016 के नियम 13 (i) के तहत उच्च पद/वेतनमान में उनकी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख से या अगली वेतन वृद्धि की तारीख अर्थात् वर्ष की 1 जुलाई/1 जनवरी से निर्धारित किया जाएगा। वेतन और वेतन वृद्धि की तारीख व्यय विभाग के कार्यालय जापन सं.1/1/2008-आईसी दिनांक 13.09.2008 के स्पष्टीकरण नंबर 2 के अनुसार नियत की जाएगी।
6. वृत्ति-भोगी की वेतन वृद्धि की तारीख (अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई/1 जनवरी से) के आधार पर उच्च वेतन (वेतनमान) का निर्धारण भी स्वीकार्य है। ऐसे विकल्प को एक बार प्रयोग करने पर अंतिम माना जाएगा। आपका विकल्प, इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर अधोहस्ताक्षरी तक पहुंच जाना चाहिए।
7. यदि यह पाया जाता है कि अनजाने में अतिरिक्त राशि का भुगतान कर दिया गया है, तो ऐसी अतिरिक्त राशि संबंधित कर्मचारी के वेतन से वसूल की जाएगी।



(आर. डी. पाण्डे)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:

- 1) संबंधित अधिकारी (संलग्नक-1)
- 2) लेखा अधिकारी-II
- 3) सभी क्षेत्रीय निदेशालय
- 4) सदस्य सचिव के निजी सचिव
- 5) कर्मचारी की वैयक्तिक फाइल
- 6) प्रशासनिक प्रभाग (का.) की मास्टर फाइल
- 7) कार्यालय आदेश फाइल

क्र.	नाम एवं पदनाम	वित्तीय उन्नयन के समय स्तर	एम.ए.सी.पी./से प्रभावी/स्तर
1	श्री फार्मसन लिरह, सहायक	स्तर-6	स्तर-7 में दि. 26-09-2019 से प्रभावी 3 ^{री} एम.ए.सी.पी.
2	श्री कुंदन लाल, सहायक	स्तर-6	स्तर-7 में दि. 01.06.2019 से प्रभावी 3 ^{री} एम.ए.सी.पी.
3	श्री के. एस. राजशेखरन, सहायक	स्तर-6	स्तर-7 में दि. 01.06.2019 से प्रभावी 3 ^{री} एम.ए.सी.पी.
4	श्री गोपी पी. नायर, सहायक	स्तर-6	स्तर-7 में दि. 26.05.2019 से प्रभावी 3 ^{री} एम.ए.सी.पी.
5	श्री इंद्रजीत कक्कड़, सहायक	स्तर-6	स्तर-7 में दि. 26.05.2019 से प्रभावी 3 ^{री} एम.ए.सी.पी.
6	श्री कैलाश कुमार, सहायक	स्तर-6	स्तर-7 में दि. 22.05.2019 से प्रभावी 3 ^{री} एम.ए.सी.पी.
7	श्री राजेंद्र, सहायक	स्तर-6	स्तर-7 में दि. 25.08.2019 से प्रभावी 3 ^{री} एम.ए.सी.पी.
8	श्री श्रीराम शाह, उच्च श्रेणी लिपिक	स्तर-4	स्तर-5 में दि. 24.07.2019 से प्रभावी 3 ^{री} एम.ए.सी.पी.
9	श्री नंदन सिंह, उच्च श्रेणी लिपिक	स्तर-4	स्तर-5 में दि. 01.06.2015 से प्रभावी 3 ^{री} एम.ए.सी.पी.
10	श्री रामकिशन, एस.एल.ए.	स्तर-5	स्तर-6 में दि. 01.09.2018 से प्रभावी 3 ^{री} एम.ए.सी.पी.
11	श्रीमती शशि गोयल, डी.पी.ए.	स्तर-6	स्तर-7 में दि. 01.09.2018 से प्रभावी 3 ^{री} एम.ए.सी.पी.
12	श्री विवेकानंद, डी.ई.ओ., ग्रेड-II	स्तर-4	स्तर-5 में दि. 27.10.2018 से प्रभावी 1 ^{ली} एम.ए.सी.पी.
13	श्री भगवत सिंह शाही, डी.ई.ओ., ग्रेड-II	स्तर-4	स्तर-5 में दि. 31.10.2018 से प्रभावी 1 ^{ली} एम.ए.सी.पी.
14	श्री के. पी. श्रीवास्तव, डी.ई.ओ., ग्रेड-II	स्तर-4	स्तर-5 में दि. 27.10.2018 से प्रभावी 1 ^{ली} एम.ए.सी.पी.
15	श्रीमती फ़रजाना खान, डी.ई.ओ., ग्रेड-II	स्तर-4	स्तर-5 में दि. 27.10.2018 से प्रभावी 1 ^{ली} एम.ए.सी.पी.
16	श्री देवीश्वर प्रसाद, चालक, ग्रेड-I	स्तर-5	स्तर-6 में दि. 23.04.2018 से प्रभावी 3 ^{री} एम.ए.सी.पी.


09/05/19

(आर. डी. पाण्डे)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी



Central Pollution Control Board
(Ministry of Environment, Forest & Climate Change, GOI)
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar
Delhi-110 032

F.No. C-20017/5/2000/Admn.(R)/MACP/ 77

Date : May 9, 2019

ORDER

In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19.05.2009 and 28.09.2016, Screening Committee Meeting was held on 26-04-2019. The employees as per the Annexure-I are hereby granted financial upgradation under the MACP Scheme in the Pay Matrix. The employee will move to immediate next higher level in the Pay Matrix with effect from the date as mentioned against their names. Financial upgradation granted to employees, as per Annexure-I, are inter-alia subject to the following conditions :

1. The financial upgradation will not result in change in the designation of the beneficiaries i.e., the financial benefits are granted with the retention of their old designations and the said financial upgradation shall not confer any privilege related to higher status.
2. The financial upgradation under the MACP Scheme shall be purely personal to the incumbents (employees) and shall not amount to actual functional promotions of the employees concerned. Further, it shall have no relevance to their inter-se seniority position, and as such, there shall be no additional financial upgradation for the senior employees on the ground that the junior employees have got higher pay scale (s) under the MACP Scheme. The concept of "Senior-Junior" is quite alien to the idea behind the MACP Scheme.
3. They are placed in the immediate next higher Level in the Pay Matrix in the hierarchy of the recommended revised Pay Matrix. Therefore, the Level (in Pay Matrix) at the time of financial upgradation under the MACP Scheme can, in certain cases where regular promotion is not between two successive grades, be different than what is available at the time of regular promotion. In such cases, the Pay in the Pay Matrix attached to the next promotional post in the hierarchy of the concerned cadre/organization will be given only at the time of regular promotions.
4. Benefits of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under the Scheme. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same Pay-Level as granted under MACP Scheme. However, at the time of actual promotion, if it happens to be in a post carrying higher Pay-Level than what is available under MACP Scheme, no pay fixation would be available and only difference of Pay-Level would be made available.


09/05/19

Contd...

5. On their financial upgradation under the MACP Scheme, which is in situ and which may not involve assumption of higher duties and responsibilities, as a special dispensation, their pay shall be fixed under Rule 13 (i) of CCS (RP) Rules, 2016 to get their pay fixed in the higher Post/ Pay-Level either from the date of their promotion/upgradation or from the date of their next increment viz. 1st July/1st January of the year. The pay and the date of increment would be fixed in accordance with clarification No.2 of Department of Expenditure's O.M. No. 1/1/2008-IC dated 13.09.2008.

6. For fixation of pay in the higher Pay-Level (s) based on the date of increment (i.e. 1st July/ 1st January of the year) of the incumbent is also allowable. Such option once exercised shall be treated as final. The option should reach to the undersigned within one month from the date of issue of this order.

7. In case it is found that an excess amount has been paid inadvertently, such excess amount shall be recovered from the salary of the concerned employee.


(R.D. Pandey)

Senior Administrative Officer

Distribution:

- 1) Individual Concerned
- 2) Accounts Officer-II
- 3) All Regional Directorates
- 4) PS to MS
- 5) Personal File of the Individual
- 6) Master file of AO (P)
- 7) Office Order File

Annexure-I

Sl. No.	Name & Designation	Level at the time of Financial Upgradation	MACP/W.E.F./Level
1	Shri Formosson Lynrah, Assistant	Level-6	3 rd MACP w.e.f. 26-09-2019 in Pay Matrix of Level-7
2	Shri Kundan Lal, Assistant	Level-6	3 rd MACP w.e.f. 01-06-2019 in Pay Matrix of Level-7
3	Shri K.S.Rajasekaran, Assistant	Level-6	3 rd MACP w.e.f. 01-06-2019 in Pay Matrix of Level-7
4	Shri Gopi P Nair, Assistant	Level-6	3 rd MACP w.e.f. 26-05-2019 in Pay Matrix of Level-7
5	Shri Inderjeet Kakkar, Assistant	Level-6	3 rd MACP w.e.f. 26-05-2019 in Pay Matrix of Level-7
6	Shri Kailash Kumar, Assistant	Level-6	3 rd MACP w.e.f. 22-05-2019 in Pay Matrix of Level-7
7	Shri Rajender, Assistant	Level-6	3 rd MACP w.e.f. 25-08-2019 in Pay Matrix of Level-7
8	Shri Shree Ram Shah, UDC	Level-4	3 rd MACP w.e.f. 24-07-2019 in Pay Matrix of Level-5
9	Shri Nandan Singh, UDC	Level-4	3 rd MACP w.e.f. 01-06-2015 in Pay Matrix of Level-5
10	Shri Ram Kishan, SLA	Level-5	3 rd MACP w.e.f. 01-09-2018 in Pay Matrix of Level-6
11	Smt. Shashi Goel, DPA	Level-6	3 rd MACP w.e.f. 01-09-2018 in Pay Matrix of Level-7
12	Sh. Vivekanand. D.E.O. Gr-II	Level-4	1 st MACP w.e.f. 27-10-2018 in Pay Matrix of Level-5
13	Sh. Bhagwat Singh Shahi, D.E.O. Gr-II	Level-4	1 st MACP w.e.f. 31-10-2018 in Pay Matrix of Level-5
14	Sh. K.P. Srivastava, D.E.O. Gr-II	Level-4	1 st MACP w.e.f. 27-10-2018 in Pay Matrix of Level-5
15	Smt. Farzana Khan, D.E.O. Gr-II	Level-4	1 st MACP w.e.f. 27-10-2018 in Pay Matrix of Level-5
16	Sh.Devishwar Prasad, Driver Grade – I	Level-5	3 rd MACP w.e.f. 23-04-2018 in Pay Matrix of Level-6



(R.D. Pandey)

Senior Administrative Officer